न्यायालय जिला कलक्टर झुंझुनू

प्रकरण संख्या/अभ्यावेदन/193/2019 निर्णय दिनांक :–25.01.2021

आदेश

प्रार्थीया श्रीमती अनिता पत्नि श्री विनोद कुमार ग्राम नाटास पोस्ट गोवला तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में प्रस्तुत डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 18304/2019 उनवानी श्रीमती अनिता बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 01.11.2019 की पालना करवाने बाबत दिनांक 05.12.2019 को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर ग्राम नाटास तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू के भूमि खसरा नम्बर 124 पर अवैध रूप से किये गये अतिक्रमण हो हटवाने बाबत प्रस्तुत किया है। अभ्यावेदन तहसीलदार उदयपुरवाटी के विरूद्ध दर्ज किया गया। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार है।

In view of above, instead of directly entertaining this public interest litigation petition, this Court requires the petitioner to approach Respondent No. 2, District Collector, Jhunjhunu by filing a detailed representation along with copy of aforesaid order, who shall examine the grievance of the petitioner and do the needful within a period of three months from the date of filing of the representation.

अभ्यावेदन व निर्णय दिनांक 01.11.2019 में वर्णित भूमि की बाबत तहसीलदार उदयपुरवाटी से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया तथा प्रार्थीया को सुनवाई हेतु सूचित किया गया। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपने पत्रांक पाठक/2019/659 दिनांक 26.12.2019 द्वारा न्यायालय में तथ्यात्मक प्रतिवेदन पेश किया जिसके अनुसार ग्राम नाटास की भूमि खसरा नम्बर 124 रकबा 3.29 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन नदी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित भूमि पर लक्ष्मण, मोती, जयसिंह पुत्रान हरदयाल जाति जाट सा0 नाटास का कब्जा काश्त है। उपरोक्त भूमि पर जयसिंह, लक्ष्मणसिंह पुत्र हरदयाल का 60 x 50 वर्गफुट व मोती पुत्र हरदयाल का 60 x 50 वर्गफुट का पक्का मकान बनाकर आबाद है। पास में एक पुराना कुआ में सिंगल फेस मोटर लगी है। कुएं पर घरेलू कनेक्शन है। कुएं का कोई कनेक्शन नहीं है। उक्त भूमि में फसल हेतु पडोस के कुएं से पाईप लाईन बिछाकर सिंचाई की जाती है। उपरोक्त अतिक्रमियों के विरूद्ध पूर्व में धारा 91 के अन्तर्गत बेदखली के आदेश पारित किये गये थे। परन्तु प्रर्याप्त पुलिस जाप्ते एवं प्रशासन की उपस्थिति में ही अतिक्रमियों को मौके से बेदखल किया जा सकता है। अतिक्रमियों की पटवार हल्का नाटास में खातेदारी भूमि नहीं है। तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अपने पत्रांक राजस्व/2020/127 दिनांक 12.03.2020 द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट और पेश की जिसके अनुसार ग्राम नाटास की भूमि ख[illegible] किस्म [illegible]नदी मे लक्ष्मण, मोती, जयसिंह पि0 हरदयाल सिंह, जाति जाट [illegible] 124 पर अतिक्रमण

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.02 17:09:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

कर रखा है। उक्त अतिक्रमियों के हल्का हाजा मे अन्य कोई खातेदारी/गैर खातेदारी भूमि नही है। उपरोक्त खसरा नं0 मे दो जगह मकान बने हुए है जिनमे एक जगह लक्ष्मण, जयसिंह पि0 हरदयाल द्वारा 70 x 50 फुट मे 7 मकान (कमरे) सीमेन्ट व बजरी मे पट्टीदार व सीमेन्टेड आंगन मे बने हुए है जिसके आगे पक्की चार दीवारी लगी हुई है। उसके बाहर टॉयलेट व बाथरूम पक्के बने हुए है। दूसरी जगह मोती पुत्र हरदयाल द्वारा 60 x50 फुट मे 3 पक्के मकान (कमरे) सीमेन्ट बजरी द्वारा पट्टीदार व टाईल्स मय चारदीवारी बना रखे है। उसके आगे एक टीन शैड पुराना चाह तथा बालाजी का मन्दिर सीमेन्ट व बजरी मे पक्के बने हुए है। चाह पर पट्टी लगाकर बन्द किया हुआ है तथा बन्द पडा है। उपरोक्त प्रथम मकान 20–25 वर्ष से बने हुए है तथा घरेलू बिजली का कनेक्शन 15–16 वर्ष से है। दूसरे मकान 10.12 वर्ष से बने हुए है तथा उनका घरेलू कनेक्शन 7–8 वर्ष से किया हुआ है। उपरोक्त भूमि 3.29 है0 पूरी पर कब्जा किया हुआ है जिनमे सरसों 0.50 है0, चना 1.00 है0 गेहूं 1.10 है0 एवं शेष भूमि पर मकान, रास्ता व खाली रखी हुई है। उपरोक्त फसल पडौसी पूर्ण राम पुत्र धन्ना राम के कुएं से पाईप लाईन द्वारा सिंचाई की जाती है। पूर्व मे धारा 91 की कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश हो चुके थे लेकिन पर्याप्त पुलिस जाप्ता नही मिलने के कारण बेदखल नही किये जा सके। शिकायतकर्ता के ससुर सुरेन्द्र पुत्र नाथाराम जाति जाट निवासी नाटास राजस्व ग्राम नाटास के भूमि खसरा नम्बर 125 रकबा 4.50 है0 किस्म गै0मु0नदी मे से 3.00 है0 पर कब्जा कर भादर पुत्र भगवाना जाति जाट को गेहूं 0.70 है0, चना 0.80 है0 मे फसल बुवाई कर रखी है जिसका सालाना एक मण (40 किलो) गेहूं प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा लेता है एवं स्वयं सुरेन्द्र सिंह पुत्र नाथाराम ने खसरा नं0 104 रकबा 22.91 है0 किस्म गै0मु0नदी मे से 0.20 है0 मे सरसों की फसल बुवाई कर रखी है। जांच की गई तो सही पाया गया। इस प्रकार शिकायतकर्ता का ससुर स्वयं अतिक्रमी है जिसके विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही न्यायालय उप तहसील गुढागौडजी मे जैरकार है। अतिक्रमी लक्ष्मण, मोती, जयसिंह पुत्रगण हरदयाल के विरूद्व इस कार्यालय मे मु0न0 156/2007, मु0न0 226/2011, मु0न0 24/2012, मु0न0 291/2017 अ0धा0 91 मे कार्यवाही की जा चुकी है। मु0न0 24/2012 मे अप्रार्थीगणों द्वारा पेश किये जबाब मे श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी नवलगढ द्वारा ओदश क्रमांक 3049–51/राजस्व/99 दिनांक 03.09.1999 का एक आंवटन आदेश पेश किया था जिसमे ख0न0 214 मे 0.90 है0 भूमि अप्रार्थीगणों को पांच वर्ष के लिए अस्थाई तौर पर आंवटित की गई थी। वर्तमान मे अतिक्रमी लक्ष्मण, जयसिंह मोती पुत्रगण हरदयाल के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही न्यायालय उप तहसील गुढागौडजी मे जैरकार है।

प्रार्थीया एवं अतिक्रमी सुनवाई हेतु न्यायालय में उपस्थित नहीं। बहस सुनी गई। राजकीय अभिभाषक ने अभ्यावेदन में वर्णित तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुये राजकीय भूमि पर किये गये अतिक्रमण को हटवाये जाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.02 17:09:51 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

74

हमने बहस वकील अप्रार्थी, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों, माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय तथा तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन का अवलोकन किया। चूंकि ग्राम नाटास, तहसील उदयपुरवाटी स्थित भूमि ख0न0 124 रकबा 3.29 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन नदी की भूमि है जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है जिस पर किया गया अतिक्रमण अवैध है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है अतः आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि के मौके से अतिक्रमी लक्ष्मण, मोती, जयसिंह पि0 हरदयाल सिंह, जाति जाट को तत्काल भौतिक रूप से बेदखल किया जावे। आदेश की प्रति मय रिकार्ड अदालत मातहत के तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रेषित की जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 25.01.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में टंकित करवाया जाकर सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर झुंझनू
25/01/21

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.02 17:09:51 IST
Reason: SelfAttested